

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ (राज0)
दावा संख्या- 42/2023

- 1 कालूलाल पिता भैरूलाल सुथार निवासी पारसोली तह0 बेगू
 - 2 कमलेश पिता भैरूलाल सुथार निवासी पारसोली तह0 बेगू
 - 3 आशा पुत्री भैरूलाल सुथार निवासी पारसोली तह0 बेगू
- वादीगण

बनाम

- 1 कैलाश पुत्र रूपा सुथार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू
- 2 रामकन्या पुत्री रूपा सुथार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू
- 3 लाली पुत्री रूपा सुथार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू
- 4 कालूलाल पिता बालू सुथार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू
- 5 टीना पुत्री बालू सुथार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू
- 6 दिनेश पुत्र बालू सुथार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू
- 7 सोनूकुमारी पुत्री बालू सुथार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू
- 8 राजीवाई पत्नी बालू सुथार निवासी डेकडीखेडा तह0 बेगू
- 9 तहसीलदार सा. भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगू

प्रतिवादीगण

निर्णय प्राथमिक डिक्री वाद पत्र अ0घा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री की उपस्थिति एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ताकी अनुपस्थिति में वाद अ.घा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 13.10.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा सुल्तानपुरा पटवार हल्का राजगढ की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1- श्रीमति आशावाई 1/3, कालूलाल 1/3, कमलेश 1/3, पिता भैरूलाल सुथार निवासी पारसोली खातेदार रहन बैंक ऑफ वडौदा जमाबन्दी अनुसार।

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर	किस्म	लगान
184 मेसे	0.87	उत्तरी दिशा नक्शा	ट्रेस अनुसार
185 मेसे	0.39	उत्तरी दिशा नक्शा	ट्रेस अनुसार

कीता- 02 1.26 हैक्टर

2- श्री कैलाश 1/4, रामकन्या 1/6, लाली 1/6, पिता रूपा, कालूलाल 29/120, टीना 1/30, दिनेश 3/40 सोनूकुमारी 1/30, पिता बालू, राजीवाई पति बालू सुथार 1/30 सा. देह खातेदार रहन वदस्तुर

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर	किस्म	लगान
187	0.62	सम्पूर्ण	
190	0.22	सम्पूर्ण	
186 मेसे	0.08	दक्षिण दिशा नक्शा	ट्रेस अनुसार
189 मेसे	0.05	दक्षिण दिशा नक्शा	ट्रेस अनुसार
185 मेसे	0.13	दक्षिण दिशा नक्शा	ट्रेस अनुसार
184 मेसे	0.16	दक्षिण दिशा नक्शा	ट्रेस अनुसार

कीता- 06 1.2600 हैक्टर

—AF


3- श्रीमति आशाबाई 1/6, कालूलाल 1/6, कमलेश 1/6, पिता भैरूलाल सुथार निवासी पारसोली कैलाश 1/8, रामकन्या 1/12, लाली 1/12, पिता रूपा, कालूलाल 29/240, टीना 1/60, दिनेश 3/80 सोनूकुमारी 1/60, पिता बालू, राजीबाई पति बालू सुथार 1/60 सा. डेकडीखेडा खातेदार रहन बदस्तुर खातेदार जमाबन्दी अनुसार।

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
188	0.04	(चाह)	
186 मेसे	0.08	उत्तरी दिशा नक्शा ट्रेस अनुसार	
184 मेसे	0.03	(रास्ता) उत्तरी दिशा नक्शा ट्रेस अनुसार	
189 मेसे	0.01	(रास्ता) उत्तरी दिशा नक्शा ट्रेस अनुसार	

कीता- 04 0.16 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।


यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)वेगू

क्रमांक/सरिश्ता/2025/

दिनांक :-

दावा संख्या 42/2023 व अनवान कालूलाल बनाम कैलाश वगै वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार वेगू को दी जाती है।


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)वेगू